रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1838] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 31, 2008/पौष 10, 1930
No. 1838] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 31, 2008/PAUSA 10, 1930

गृह मंत्रालय

(आन्तरिक सुरक्षा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2008

का.आ. 3014(अ).—केन्द्रीय सरकार, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 52 की उप-धारा (2) के खंड (च) के साथ पठित धारा 45 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) (अभियोजन की सिफारिशें और मंजूरी) नियम, 2008 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषा.—(1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, —

(क) "अधिनियम" से विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) अभिप्रेत है;

(ख) "प्राधिकारी" से वह प्राधिकारी अभिप्रेत है जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 45 की उप-धारा (2) के अधीन नियुक्त किया जाए;

(ग) "संहिता" से दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) अभिप्रेत है।

2. उन शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त हैं और इन नियमों में परिभाषित नहीं हैं किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में क्रमशः उनके हैं।

3. प्राधिकारी द्वारा सिफारिश किए जाने के लिए समय सीमा.—प्राधिकारी अधिनियम की धारा 45 की उप-धारा (2) के अधीन अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें सिफारिशें होंगी और इस अधिनियम के अधीन अन्वेषण अधिकारी द्वारा एकत्रित किए गए साक्ष्य की प्राप्ति से सात कार्य दिवसों के भीतर उसे उप-धारा(2) के अधीन केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगा।

4. अभियोजन की मंजूरी के लिए समय सीमा.—केन्द्रीय सरकार अधिनियम की धारा 45 की उप-धारा (2) के अधीन प्राधिकारी की सिफारिशों की प्राप्ति के पश्चात् सात कार्य दिवसों के भीतर अभियोजन के लिए मंजूरी के संबंध में विनिश्चय करेगी।

[फा. सं. 11034/26/2008-आई एस-VI]

डी. दीप्तिविलास, संयुक्त सचिव (आई एस)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Department of Internal Security)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st December, 2008

S.O. 3014(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2), of Section 45, read with clause (f) of sub-section (2) of Section 52, of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Unlawful Activites (Prevention) (Recommendation and Sanction of Prosecution) Rules, 2008.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definition.— (1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967);

(b) "Authority" means the Authority to be appointed by the Central Government under sub-section (2) of Section 45;

(c) "Code" means the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974).

(2) Words and expression used herein and not defined in these rules, but defined in the Act, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. **Time limit for making a recommendation by the Authority.**— The Authority shall, under sub-section (2) of Section 45 of the Act, make its report containing the recommendations to the Central Government within seven working days of the receipt of the evidence gathered by the investigating officer unde the Code.

4. **Time limit for sanction of prosecution.**— The Central Government shall, under sub-section (2) of Section 45 of the Act, take a decision regarding sanction for prosecution within seven working days after receipt of the recommendations of the Authority.

[F. No. 11034/26/2008-IS-VI]

D. DIPTIVILASA, Jt. Secy. (IS)

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.